न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 08/2015 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2015/00007

अनवान

1. श्रीमती पार्वति बाई बेवा तेजा जी जोगी, निवासी खेरवाड़ा (छावनी) तहसील खेरवाड़ा।

– प्रार्थीया/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मणीलाल पिता शंकर मीणा, निवासी कलालिया, खेरवाड़ा (खालसा), तह. खेरवाड़ा।
2. श्रीमती आशा पत्नि मणीलाल मीणा, निवासी कलालिया, खेरवाड़ा (खालसा), तह. खेरवाड़ा
3. सरकार जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 28-08-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा खेरवाड़ा (खालसा), तहसील खेरवाड़ा मे स्थित आराजी संख्या 729 रकबा 1.1000हे. एवं 730 रकबा 0.0500हे. कुल किता 2 रकबा 0.1500हे. भूमि दिनांक 06.02.2013 को विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर आवंटित कर दी गई हैं। उक्त आवंटन के पूर्व न तो घोषणा पत्र जारी किया गया व न ही घोषणा पत्र पंचायत मे व सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया। मौजा खेरवाड़ा की आराजी संख्या 729 व 730 पर प्रार्थीया एवं उसके पति का करीब 60 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। यह भूमि प्रार्थीया के पति के खातेदारी की आराजी संख्या 726, 727 व 728 से मिली हुई है तथा प्रार्थीया एवं उसके पति ने आराजी संख्या 729 व 730 के दक्षिण मे थूर की बाड़ व पत्थर की कोट बना रखी हैं। प्रार्थीया एवं उसके पति ने काफी मेहनत करके उपजाऊ बनायी है एवं विभिन्न वृक्ष लगा रखे है। प्रार्थीया के पति का देहान्त हो गया हैं। कथित आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से मिलकर कराया है एवं पटवारी ने गलत रिपोर्ट पेश की है। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होने से नियमन के योग्य हैं एवं प्रार्थीया को मौके से बेदखल किये बिना उक्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटन नहीं की जा सकती हैं। आवंटन के पूर्व अनओक्युपाइड़ लेण्ड़ की सूची तैयार नही की गई है एवं आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि

का कब्जा नहीं सौंपा गया। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं हैं। विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किये गये आवंटन दिनांक 06.02.2013 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम दर्ज की जाकर प्रार्थीया के नाम नियमन किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रोशनलाल जैन ने वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण को किया गया आवंटन पूर्णतया नियमों के तहत किया गया है, जिसे निरस्त कराने का अधिकार प्रार्थी को नहीं हैं। विपक्षीगण को भूमि आवंटन के पूर्व विधिवत घोषणा पत्र जारी किया जाकर सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया गया। प्रार्थीया एवं उसके पति का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। पटवारी हल्का द्वारा नियमों के तहत रिपोर्ट की हैं एवं नियमानुसार ही आवंटन किया गया हैं। प्रार्थीया विपक्षीगण को भूमि से बेदखल कर कब्जा करना चाहती है। इसी उद्देश्य से उसके द्वारा झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष मे किया गया आवंटन बहाल रखा जावें।

तहसीलदार से विवादित आराजी संख्या पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गई। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय से पत्रावली मंगवाई जाकर बहस हेतु तारीख नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होने अपने प्रार्थना एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 व 2 के जवाब, उपखण्ड़ अधिकारी से प्राप्त आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 06.02.2013 को मौजा खेरवाड़ा खालसा की आराजी संख्या 729 रकबा 0.10हे. व आराजी संख्या 730 रकबा 0.05हे. कुल किता 2 रकबा 0.1500हे. भूमि का आवंटन किया गया हैं। आवंटन कमेटी के कोरम मे विधायक, विकास अधिकारी, सरपंच, प्रधान, तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजुद हैं। उक्त आवंटन से पूर्व रिपोर्ट पर पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर मौजुद हैं। तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा प्रकरण मे प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 27.07.2016 एवं दिनांक 27.10.2016 मे प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेरवाड़ा खालसा की आराजी संख्या 729 रकबा 0.10हे. भूमि राजस्व रेकर्ड मे विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। उक्त भूमि पर विरेन्द्र पिता तेजा, प्रार्थीया पार्वति पत्नि स्व. तेजा द्वारा बाड़ लगाकर कृषि कार्य किया जा रहा हैं। आराजी संख्या 730 रकबा 0.05हे. मे आंशिक भाग पर विरेन्द्र पिता तेजा, प्रार्थीया पार्वति पत्नि स्व. तेजा का कब्जा काश्त है, जबकि आंशिक भाग सड़क किनारे पड़त हैं। आवंटन

के पूर्व विपक्षी आवंटी श्री मणीलाल का उक्त आराजीयात पर कब्जे के संबंध मे पुष्टि रेकर्ड के आधार पर नहीं होती हैं और प्रार्थीया श्रीमती पार्वति का कब्जा उक्त आराजीयात पर आवंटन से पूर्व था तो इस संबंध मे भी रेकर्ड के आधार पर पुष्टि नहीं होती हैं। संवत् 2065, 2066, 2069 एवं 2070 मे उक्त आराजी संख्या 729 एवं 730 पर राकेश कुमार पिता शंकरलाल मीणा के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई हैं।

प्रकरण मे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि मौजा खेरवाड़ा खालसा, तहसील खेरवाड़ा की विवादित आराजी संख्या 729 व 730 पर आवंटन के पूर्व आवंटी विपक्षी संख्या 1 श्री मणीलाल पिता शंकर मीणा व विपक्षी संख्या 2 श्रीमती आभा पत्नि मणीलाल मीणा का कब्जा नही रहा है एवं न ही उक्त विवादित आराजीयात पर प्रार्थीया श्रीमती पार्वति बाई बेवा तेजा जी जोगी का कब्जा रहा है। संवत् 2065, 2066, 2069 एवं 2070 मे उक्त आराजी संख्या 729 एवं 730 पर राकेश कुमार पिता शंकरलाल मीणा के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है अर्थात आवंटन के पूर्व उभय पक्षकारान मे से किसी भी पक्षकार का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नही रहा है। यदि उक्त भूमि पर उभय पक्षकारान मे से किसी का भी कब्जा होता तो उनके पास धारा 91 के नोटिस अवश्य उपलब्ध होते जो उनका पुराना कब्जा होना जाहिर करते। कब्जे की पुष्टि मे उभय पक्ष के अधिवक्ता दस्तावेज प्रस्तुत करने मे असफल रहे है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या उक्त आवंटन मिसप्रजेन्टेशन, फ्रॉड़, गलत तरीके से तथ्यों को छुपाकर एवं पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर किया जाना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेरवाड़ा खालसा की आराजी संख्या 729 रकबा 0.10हे. एवं 730 रकबा 0.05हे. कुल किता 2 रकबा 0.1500हे. भूमि का विपक्षी संख्या 1 श्री मणीलाल पिता शंकर मीणा एवं विपक्षी संख्या 2 आशा पत्नि मणीलाल मीणा के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 06.02.2013 को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार खेरवाड़ा को निर्देश दिये जाते है कि भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करने के उपरान्त उक्त भूमि पर कोई भी व्यक्ति कब्जे का दुबारा प्रयत्न न करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर